सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-567/MH/23/2022-ESDW (RU-I) **दिनांक: 28.04.2026**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन बल प्रमुख), एम. एस. नागपूर,
तीसरी मंजिल, वन भवन, रामगिरी रोड,
सिविल लाइन्स, नागपूर-440001, महाराष्ट्र
ई-मेल:pccfhoffngp@mahaforest.gov.in

जिलाधिकारी,
जिला-पुणे,
जिलाधिकारी कार्यालय,
स्टेशन रोड,
पुणे- 411001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-पुणे (ग्रामीण),
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पुणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.pune.r@mahapolice.gov.in

जिला वनाधिकारी (भूमि एवं केम्पा),
जिला-पुणे,
मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (प्रादेशिक) पुणे,
वनभवन भाम्बुरदा वन विहार गोखले नगर,
पुणे 411016, महाराष्ट्र
ई-मेल: ccftpune@mahaforest.gov.in

विषय: वनभूमि समूह नं.- 145 और 146 आरक्षित वनों पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर हैं लेकिन उन्हें आज तक भूमि पर उन्हें स्वामित्व नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन करने में समस्याओं के संबंध में श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य, लोणी खुर्द, ता.-राहाता, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री मोहन सखाराम माली,
उपाध्यक्ष,
आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य,
लोणी खुर्द, तहसील- राहाता,
जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-567/MH/23/2022-ESDW
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति के परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत मौजे काठापुर ग्राम पंचायत में स्थित वनभूमि संख्या- 145 और 146 के पट्टे हेतु श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2022 पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 16.03.2026
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को दिनांक 06.05.2022 को श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद, महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवार वर्ष 2006 से समूह संख्या 145-146, आरक्षित वन भूमि पर निवासरत हैं। अभ्यावेदन के अनुसार, मौजे काठापुर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2012 तक वन अधिकार समिति एवं वन विभाग के माध्यम से इस अतिक्रमण/दावों के संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात दिनांक 24.10.2020 को ग्राम पंचायत के माध्यम से वन अधिकार समिति, मौजे काठापुर द्वारा संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे आमंत्रित किए गए।

अभ्यावेदन पर दिनांक 29/08/2022 को आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, पुणे एवं वनमंडलाधिकारी, लाखणगांव को नोटिस जारी किया गया था। जिला कलेक्टर, पुणे द्वारा दिनांक 18.10.2022 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि उपमंडल अधिकारी द्वारा रामदास होनाजी मधे एवं अन्य 17 व्यक्तियों के वन अधिकार दावों की जांच की गई, जिसमें दिनांक 26.09.2020 को माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्णय एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कब्जे का पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण उक्त दावों को उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इसके पश्चात 13 दावेदारों द्वारा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, पुणे के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसकी सुनवाई लंबित है।

पिछली सुनवाई के अभिलेख:

आयोग द्वारा पूर्व में विभिन्न तिथियों (17.08.2023, 21.12.2023 एवं 23.02.2024) को संयुक्त बैठक आयोजित कर जिला कलेक्टर, पुणे एवं वन विभाग को सुझाव दिया गया था कि वे याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

करें। तथापि, उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में कोई ठोस कार्रवाई की गई है।

आयोग द्वारा दिनांक 22.07.2025 को जिला कलेक्टर, पुणे एवं जिला वन अधिकारी, पुणे की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु समन जारी किया गया था, साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना अधिकारी, आईटीडीपी को भी नोटिस जारी किया गया था।

प्रकरण में पूर्व निर्धारित सुनवाई दिनांक 16.10.2025 एवं 18.11.2025 को आयोजित की गई, जिनमें केवल याचिकाकर्ता उपस्थित हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2025 को आहूत सुनवाई में निम्न अनुशंसाएं की गई थीं:

1. आयोग यह अनुशंसा करता है कि जिला कलेक्टर, पुणे एवं जिला वन अधिकारी तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवारों के लिए अस्थायी निवास/व्यवस्था (Temporary Stay) सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक वे किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित न हों।

2. प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 15 जनवरी, 2026 तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।

3. आयोग यह अनुशंसा करता है कि उक्त प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्राधिकारी द्वारा ईमानदारीपूर्वक एवं बिना किसी विलंब के इसका शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

4. जिला कलेक्टर, पुणे एवं वन विभाग, पुणे को निर्देशित किया जाए कि पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद संयुक्त टीम गठित याचिकाकर्ता द्वारा दावाकृत भूमि का परीक्षण वन अधिकार के प्रावधानों के आलोक में कर विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें।

5. आगामी सुनवाई में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपुर, जिला कलेक्टर, पुणे एवं जिला वन अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करें।

आयोग की उक्त अनुशंसाओं पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्रगत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक -16.03.2026 को पुनः सुनवाई आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक, नागपुर के प्रतिनिधि श्री अमृत पा. शिंदे, वन संरक्षक, वन विभाग, पुणे और याचिकाकर्ता उपस्थित रहे। ज़िला कलेक्टर कार्यालय, पुणे, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी तथा याचिकाकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा उसके नियमों के अंतर्गत दावों के परीक्षण एवं निस्तारण की प्रक्रिया प्रचलित है तथा विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव एवं कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस विषय में वित्तीय प्रावधान एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा उप वनसंरक्षक, जुन्नर वन विभाग, जुन्नर जिला पुणे द्वारा गट विकास अधिकारी को लिखे गये पत्र दिनांक 03/03/2026 प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार वर्तमान मामले में, संदर्भ संख्या 2 के रूप में उद्‌धृत अधिसूचना के मद (p) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (नियम 2008, संशोधन अधिनियम 2012) की धारा 3, उप-धारा (2) के अनुसार—साथ ही संदर्भ पत्र संख्या 3 के रूप में उद्‌धृत सरकारी आदेश के अनुसार मद (a) के तहत सरकारी निर्णय में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक परिवार के लिए आवासीय संरचना (घर) हेतु 25 वर्ग मीटर (272.50 वर्ग फुट) का क्षेत्र निर्धारित है, जबकि शेष 20.91 वर्ग मीटर (227.50 वर्ग फुट) क्षेत्र घर के आसपास की अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए आवंटित है; इस प्रकार, घर के निर्माण के उद्देश्य से प्रति लाभार्थी कुल 500 वर्ग फुट क्षेत्र प्रदान करने का प्रावधान है। तदनुसार, इस संबंध में, चूंकि मौजे काठापुर बुद्रुक, तालुका आंबेगांव, जिला पुणे—जो वन रेंज अधिकारी, मंचर के अधिकार क्षेत्र में आता है—के अंतर्गत कंपार्टमेंट संख्या 250 (सर्वे संख्या 31, वन ब्लॉक संख्या 31) में भूमि उपलब्ध है, इसलिए यदि संबंधित दावेदारों से उनकी आवासीय संरचनाओं और संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं माननीय आयोग द्वारा की गई हैं :

1. सुनवाई के दौरान प्राधिकारी एवं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वन विभाग एवं जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अपेक्षित तत्परता एवं गंभीरता का अभाव रहा है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ा है। आयोग यह अनुशंसा करता है कि संबंधित प्राधिकारी प्रकरण में सक्रिय (proactive) दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

2. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे का पुनः परीक्षण करते हुए, यदि पात्रता पाई जाती है, तो यथाशीघ्र भूमि का पट्टा (Forest Rights Title) प्रदान किया जाए तथा याचिकाकर्ता को उसके वैधानिक अधिकारों के अनुसार भूमि का पुनर्स्थापन सुनिश्चित किया जाए।

3. अभ्यर्थी वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जे के साक्ष्य वन विभाग, जिला प्रशासन अथवा आयोग को उपलब्ध करवाये। जिससे वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जा सके। वन भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व कब्जे के साक्ष्य उपलब्ध करवाना वन पट्टे के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का ही दायित्व होता है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. यदि अभ्यर्थी आवासहीन है तो वन अधिकार अधिनियम में आवास हेतु भी वन भूमि में से आवासीय भूमि उपलब्ध करवाने के भी प्रावधान है, अत: अभ्यर्थी को तत्काल सभी आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन जिला प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों का उपलब्ध कराये, जिससे आवासीय पट्टे की प्रक्रिया का पूर्ण किया जा सके।

5. यदि अभ्यर्थी वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे हेतु वर्ष 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जे के साक्ष्य उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहता है, तो जिला प्रशासन आवासहीन पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, राशनकार्ड, मतदाता सूची एवं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र आवंटित आवास के पते पर यथाशीघ्र बनवाते हुए आयोग को प्रगति प्रतिवेदन 2 माह में उपलब्ध कराये।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

17

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-567/MH/23/2022-ESDW (RU-I) दिनांक: 16.03.2026

विषय: वनभूमि समूह नं.- 145 और 146 आरक्षित वनों पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर हैं लेकिन उन्हें आज तक भूमि पर उन्हें स्वामित्व नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें जीवन यापन करने में समस्याओं के संबंध में श्री मोहन सखाराम माली, उपाध्यक्ष, आदिवासी संग्राम परिषद महाराष्ट्र राज्य, लोणी खुर्द, ता.-राहाता, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2022 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख), एम. एस. नागपूर, नागपूर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	अमृत पी. शिंदे	महा वनसंरक्षक	95459[illegible]	[signature]
2.		वनविभाग पुणे	672	16.05.26

जिलाधिकारी, जिला-पुणे, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				

पुलिस अधीक्षक, जिला-पुणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				

जिला वनाधिकारी (भूमि एवं केम्पा), जिला-पुणे, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				

आवेदक / आवेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	सुनिता निकम	प्रदेश अध्यक्ष	8600919686	[signature]
2.	मोहन माली	उपाध्यक्ष		[signature]